न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 91/2017
निर्णय दिनांकः— 08.01.2021

उनवान

अरविन्द नरूका पुत्र मुकुटसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक हाल निवासी मणिद्वीप, बहीर रोड टोंक तहसील व जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)
—
प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थीयां
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 275 रकबा 0.04, ख0न0 624 रकबा 3.21 कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजी आवेदक को जरिये बख्शीश नामा प्राप्त हुई है। आवेदक के समाज एवं गांव मे प्रचलन के अनुसार दादा के जीवनकाल मे पोत्र को भंवर सम्बोधित किये जाने के कारण उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे आवेदक का नाम अरविन्द कुमार नरूका के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों ने नामान्तरकरण खोलते समय भंवर अरविन्द कुमार अंकित कर दिया गया, जो कि त्रूटीपूर्ण है। आवेदक का सही व वास्तविक नाम अरविन्द नरूका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजसीन द्वारा जारी हाई स्कुल प्रमाण पत्र, बार काउन्सलिंग आफ राजस्थान द्वारा जारी एनरोलमेन्ट प्रमाण पत्र,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजात मे अरविन्द नरूका ही दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे त्रूटीपूर्ण दर्ज होने से आवेदक को उक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध मे होने वाली सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्य करने के सम्बन्ध मे काफी परेशानियां कारित हो रही है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि आराजी ख0न0 275 रकबा 0.04 ख0न0 624 रकबा 3.21 कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम सुरेली

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम भंवर अरविन्द कुमार के स्थान पर आवेदक का सही नाम अरविन्द नरूका अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण बख्शीश नामा के अनुसार दर्ज किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा मे आराजी ख0न0 275, 624 कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 है0 भंवर अरविन्द कुमार पुत्र मुकुटसिंह जाति राजपूत सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश प्राप्त हुयी है। बख्शीश नामा मे भी भंवर अरविन्द कुमार लिखा हुआ है तथा उसी के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। प्रार्थी को बख्शीश नामा मे अंकित नाम मे सुधार के लिये सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत नहीं आता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा